

16/12/19 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारानु उप।
अधिवक्ता प्राची इल प्रार्थना - पत्र को अब
आगे नहीं चलाना चाहते।

अतः प्रार्थना पत्र जरिअ नोट प्रेश
स्वीरिज किया जाता है। पत्रावली कैशल
शुमार होकर नम्बर से काम की जाकर
द्रायिल इफतर हो।


न्यायक इन्सपेक्टर, गोपिगं

Not Recd

16/12/19

